

222

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक / 2016 जिला-टीकमगढ़

दिनांक - 21/11-16

1. गोविन्द दास पुत्र श्री सरुआ,
2. किशोरी पुत्र श्री सरुआ,
3. लक्ष्मण पुत्र श्री सरुआ,
निवासीगण- राजनगर, तहसील
बल्देवगढ़, जिला - टीकमगढ़
(म.प्र) — आवेदकगण

विरुद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला टीकमगढ़ (म.प्र),
बृजलाल पुत्र श्री चिन्तामन (मृत)
द्वारा- विधिक वारिसान:-

2. कांटीबाई पत्नी चिन्तामन ✓
3. मुन्नालाल पुत्र चिन्तामन ✓
4. बबलू पुत्र चिन्तामन ✓
जागेश्वर (मृत) द्वारा विधिक
वारिसान
5. खुसला वैवा जागेश्वर ✓
6. जाहर पुत्र स्व. श्री जागेश्वर, ✓
7. अर्जुन पुत्र स्व. श्री जागेश्वर, ✓

निवासीगण- राजनगर, तहसील बल्देवगढ़,
जिला टीकमगढ़ (म.प्र)

— अनावेदकगण

श्री. लक्ष्मण चतुर्वेदी द्वारा आज दि. 01-7-16 को प्रस्तुत

कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Deputy
01/7/16

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/
स्वमेव निगरानी/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.06.2016
के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन
पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व
आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :-

भागले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम वैसा, ऊगड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 175, 200 रकवा
क्रमशः रकवा 0.874 एवं 0.129 हैक्टेयर जोकि शासकीय भूमि है। जिस

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2111-एक/2016

जिला टीकमगढ़

गोविन्द विरूद्ध शासन व बृजलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 29/स्व.निग./2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>20/2/2019</p>